रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122023-250676 CG-DL-E-14122023-250676

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2023/अग्रहायण 23, 1945

No. 711]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2023/AGRAHAYANA 23, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2023

सा.का.िन. 894(अ).—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पित संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (नौवां संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

7732 GI/2023 (1)

- 2. कीटनाशी नियम, 1971 में, नियम 19 के, उप-नियम (1) में:-
 - (1) खंड (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"लेबल एक, दो या तीन पैनल का होगा और केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में मुद्रित होगा। सभी लेबल पैनलों का न्यूनतम आकार पैकेज के सम्मुख लगे आकार के अनुसार होगा। शुद्ध अंतर्वस्तु आधार पर तीन प्रकार के लेबल होंगे:-

- (i) अति लघु पैकज 1 ग्राम/मि.लि से 50 ग्राम/मि.लि.
- (ii) लघु पैकज 51 ग्राम/मि.लि से 250 ग्राम/मि.लि
- (iii) वृहद पैकज >250 ग्राम/मि.लि

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित होगी :-

- (क) कीटनाशक का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार नाम जिसके तहत कीटनाशक बेचा जाता है)। ब्रांड नाम और सामान्य नाम को समान महत्व दिया जायेगा और इसे पैनल के मुख भाग के 20% से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत नहीं किया जाएगा। ब्रांड नाम मोटे अक्षरों में होगा;
- (ख) साधारण नाम, पंजीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित;
- (ग) "उपयोग से पहले पत्रक पढ़े" निर्देशों को सभी पैकेज आकारों में कम से कम अंग्रेजी और हिंदी भाषा में बड़े अक्षरों में लेबल के शीर्ष पर मुख्य स्थान पर लिखा जाएगा। परिशिष्टी में, वृहद् पैक के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में जहाँ यह विक्रय के लिए प्रस्तावित है:
- (घ) रसायन का प्रयोजन लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा, उदाहरण के लिए:-
 - (i) कृषि उपयोग के लिए
 - (ii) नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए
 - (iii) घरेलू उपयोग के लिए
 - (iv) लोक स्वास्थ्य के लिए
 - (v) अन्य (विनिर्दिष्ट):
- (ङ) कीटनाशी के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् संभावित पुनः प्रवेश की अवधि पंजीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित;
- (च) विनिर्मिति की संरचना या कीटनाशक;
- (छ) उपयोग के लिए निर्देशों के विवरण हेतु कृपया पत्रक देखें; उपयोग का तरीका और समय; फसलों या लक्ष्य क्षेत्र और कीटों की व्यापक श्रेणी की सूची जिस पर इसे प्रयुक्त करने के लिए पंजीकृत किया गया है; मात्रा (जिसके अंतर्गत ग्राम संक्रिय संघटक, विनिर्मिति और तनुकरण लीटर और क्षेत्रफल में); पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित सुरक्षा सावधानियां; विषाक्तता के लक्षण और प्राथमिक उपचार:
- (ज) प्रतिकारक कथन;
- (झ) विनिर्माता का नाम;
- (ञ) आयातकर्ता और पुनः पैककर्ता (जहाँ भी लागू हो);
- (ट) विपणनकर्ता;
- (ठ) कीटनाशक की पंजीकरण संख्या;
- (ड) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या;
- (ढ) बैच संख्या;
- (ण) विनिर्माण की तिथि;
- (त) अवसान की तिथि:

- (थ) अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) सभी करों सहित;
- (द) शुद्ध अन्तर्वस्तु का भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में);

टिप्पण-1 : विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधान उपखंड (त) (थ) और (द) के लिए लागू होंगे।

- (ध) सावधानियां कथन:-
 - (i) लेबल और पत्रक पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए;
 - (ii) पत्रकों के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् कंटेनर को नष्ट करें; और
 - (iii) पंजीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य चेतावनी या सावधानियां कथन।
- (न) ग्राहक संपर्क ब्यौरे जैसे कंपनी का नाम, क्यू आर कोड, ई-मेल आई डी और ग्राहक संपर्क संख्या।

परंतु क्यूआर कोड समुचित स्थान पर खुदरा पैक (प्राथमिक या द्वितीय पैक, जैसी भी स्थिति हो) के ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां क्यूआर कोड स्कैनिंग उपकरण जैसे मोबाइल फोन में स्कैन करने पर, वेबलिंक या लिंक विनिर्माता कंपनी के यूआरएल खोलने के लिए प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता लेबल और पत्रक की संपूर्ण विशिष्ट सूचना प्राप्त करेगा और क्यूआर कोड में कम से कम निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी:

- (क) विशिष्ट पहचानकर्ता या जीटीआईएन;
- (ख) बैच संख्या;
- (ग) विनिर्माण की तारीख;
- (घ) अवसान की तारीख;
- (ङ) वेब लिंक या यूआरएल।

टिप्पण-2: उपखंड (न) के प्रावधान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अतिरिक्त हैं। पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् लेबल पर अतिरिक्ति जानकारी जोड़ी जा सकती है।

न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्र लिपि (तीसरी अनुसूची में चित्र 1 में निर्दिष्ट) होगी। बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ी चित्र लिपि पैनल के दाहिनी ओर नीचे की ओर होगी। छोटे लेबलों के लिए प्राथमिक पैक पर चित्र लिपि प्राथमिक या द्वितीयक पैक पर मुद्रित किए जाएंगे। अति लघु लेबलों के लिए चित्र लिपि पत्रक पर मुद्रित की जायेंगी।"

- (2) खंड (iii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -
 - "(क) अति लघु या लघु पैकेजों को भी एक द्वितीयक पैक में पैक किया जाएगा जिसके लेबल पर, नियम 19 के उप-नियम (1) के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुए अमिट स्याही से मुद्रित होंगी।

परन्तु यह कि अति लघु या लघु पैकेजों, जिनके प्राथमिक पैक के लेबल में नियम 19 के उप-नियम (1) के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुए फ़ॉन्ट आकार में अमिट स्याही के साथ निर्धारित आकार से कम न हो, के लिए द्वितीयक पैक की आवश्यकता न हो।

परन्तु यह कि अति-लघु पैक के लिए, अनेक प्राथमिक पैक को एक द्वितीयक पैक में पैक किया जा सकता है और विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें एक द्वितीयक पैक में पैक करने से पूर्व प्रत्येक प्राथमिक पैक के साथ पत्रक और क्यूआर कोड सुरक्षित रूप से संलग्न किया जाए।

- (ख) वृहद् पैकेज का लेबल नियम 19 के उप-नियम (1) के खंड (i) की सभी सामग्री को प्रदर्शित करने वाली अमिट स्याही से मुद्रित किया जाएगा। वृहद पैकेज को द्वितीयक पैक में भी पैक किया जा सकता है।"
- (3) खंड (iv) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह कि अति लघु पैक के मामले में, विनिर्मिति या कीटनाशक की संरचना को संक्षेप में 'सक्रिय घटक और अन्य अवयवों का प्रतिशत' के रूप में प्रदर्शित किया जाए और पूरी संरचना पत्रक पर मुद्रित की जाएगी। विनिर्माता का नाम और पता लेबल पर संक्षेप में मुद्रित किया जाए और पूरा नाम और पता पत्रक पर मुद्रित होना चाहिए।"

- 3. उक्त नियमों में, उप-नियम (3) के बाद, पहले परंतुक को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा: "परन्तु यह कि अति-लघु पैक के लिए, उक्त वर्ग का आयाम 1 वर्ग सेंटीमीटर (1.0 सेमी x1.0 सेमी) से कम न हो।"
- 4. उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

स्पष्टीकरण: उप-नियम (1) और उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,

- (i) कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक किसी ऐसे लेबल या पत्रक, जो कीटनाशी (नौवां संसोधन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार न हो, का उपयोग, कीटनाशी (नौवां संसोधन) नियम के प्रवत्त होने की तारीख से छह माह के पश्चात नहीं करेगा।
- (ii) ऐसे लेबल या पत्रक लगे किसी कीटनाशक या इसका पैकेज जोकि कीटनाशी (नौवां संसोधन) नियम, 2023 के अनुसार न हो, नियम के प्रवत्त होने की तारीख से दो वर्ष या उसके अवसान की तारीख जो भी पहले हो. की समाप्ति के पश्चात, वितरित, बेचें बिक्री अथवा भण्डारण हेतू प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, और जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उक्त अवधि की समाप्ति के बाद यह स्पष्टीकरण अस्तित्व में नहीं रहेगा।
- 5. उपनियम (7) में "अन्यथा कथित के सिवा" शब्द हटा दिए जाएंगे।

[फा. सं. 13035/21/2013-पीपी-I]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 827(अ) दिनांक 8 नवंबर, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2023

G.S.R. 894(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

Draft Rules

- 1. **Short title and Commencement:-** (1) These rules may be called the Insecticides (Ninth Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insecticides Rules, 1971, in sub-rule (1) of Rule 19:-
 - (1) For clause (i) following shall be substituted namely:-
 - "The label shall have either one, two or three panels and shall be printed only in English and Hindi languages. The minimum size of all the label panels shall be according to the size affixed on the face of the package. There shall be three types of labels depending on the net content:
 - I. Ultra small package -1gm or ml to 50 gm or ml
 - II. Small package -51 gm or ml to 250 gm or ml
 - III. Big package->250 gm or ml

The following information shall be printed on the label:-

- (a) name of insecticide (brand name or trade name under which the insecticide is sold). Equal prominence shall be given to the Brand name and Common name and it should occupy not more than 20% of area of the face of the panel. The brand name shall be in bold;
- (b) common name as approved by Registration Committee;
- (c) instructions to "Read Leaflet Before Use" shall be placed on the top of the label in bold, in a prominent place at least in English and Hindi languages in all package sizes. In addition, for big pack size in all such regional languages where it is proposed for sale;
- (d) purpose of the chemical shall be mentioned on the label, for example:-
 - (i) for Agricultural Use
 - (ii) for Pest Control Operators
 - (iii) for House Hold Use
 - (iv) for Public Health
 - (v) others(specify);
- (e) optimal re-entry period after each application of insecticide as approved by the Registration Committee;
- (f) composition of the formulation or insecticides;
- (g) Please refer leaflet for details of directions for use; manner and time of application; list of crops or target area and broad category of pests on which it is registered to apply; dosage (include gram active ingredient, formulation and dilution in litres and area); safety precautions as approved by Registration Committee; symptoms of poisoning and first aid
- (h) antidote statement;
- (i) name of the manufacturer;
- (j) imported and re-packed by (wherever applicable);
- (k) marketed by;
- (1) registration number of the insecticide;
- (m) manufacturing license number;
- (n) batch number;
- (o) manufacturing date;
- (p) expiry date;
- (q) Maximum Retail Price (MRP) Inclusive of all taxes;
- (r) net content weight or volume (in metric system);

Note I: The provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 shall be applicable for sub-clauses (p), (q) and (r).

- (s) cautionary statement :-
 - (i) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets;
 - (ii) Destroy the container after use as directed on leaflet; and
 - (iii) Any other warning or cautionary statement as approved by Registration Committee;
- (t) Customer care details such as Company's name, QR Code, e-mail id and customer care numbers.

Provided that QR Code shall be placed on retail pack (Primary or Secondary pack as the case may be) at suitable place where on scanning the QR code by scanning equipment like mobile phone, a web link or link for opening the URL of the Manufacturing company will appear, which on pressing or clicking, will take the user to the entire unique information of label and leaflet and the QR code shall contain at least the following information:

- (a) Unique Identifier or GTIN;
- (b) Batch Number;

- (c) Date of Manufacturing;
- (d) Date of Expiry:
- (e) Web link or URL.

Note II: The provisions of (t) are in addition to the Legal Metrology(Packaged Commodities) Rules 2011

Additional information can be added to the Label after approval by the Registration Committee.

All relevant safety pictograms (**refer picture I** in the **THIRD SCHEDULE**) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They shall be printed only once on the label. For small labels the pictograms on the primary pack shall be printed on primary or the secondary pack. For ultra small labels the pictograms shall be printed on leaflet."

- (2) For clause (iii) following shall be substituted namely:
 - "(a) The ultra small or small packages shall also be packed in a secondary pack whose label shall be printed with indelible ink displaying all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19.

Provided that secondary packs may not be required for ultra or small packages whose label of primary pack have all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19 with indelible ink in the font sizes not less than size prescribed.

Provided that for ultra-small packs, multiple primary packs may be packed in one secondary pack and the manufacturer shall ensure leaflet and QR code be securely attached with each primary pack before packing them in one secondary pack.

- (b) The label of the big package shall be printed with indelible ink displaying all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19. The big package may also be packed in a secondary pack."
- (3) in clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that in case of ultra small packs, composition of the formulation or insecticide may be displayed in short as "percentage of active ingredient and other ingredients" and the complete composition shall be printed on leaflet. Name and address of the manufacturer may be printed in short on label and complete address shall be printed on leaflet."
- 3. In the said rules, after sub-rule (3), first proviso shall be replaced with words:
- "Provided that for ultra-small packs, the dimensions of the said square shall be not less than 1 square centimeter (1.0 cm x 1.0 cm)."
- 4. After sub-rule (3), the following Explanation shall be inserted, namely:

Explanation: For the purposes sub-rule (1) and sub-rule (3), it is hereby clarified that,

- (i) no registration certificate holder shall use a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Ninth Amendment) Rules, 2023, after a period of six months from the date of commencement of the Insecticides (Ninth Amendment) Rules, 2023.
- (ii) no insecticides or its package bearing a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Ninth Amendment) Rules, 2023, shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after expiry of two years from the date of commencement of the Insecticides (Ninth Amendment) Rules, 2023 or its expiry date, whichever is earlier and this explanation shall cease to exist after expiry of the said period, unless otherwise directed.
- 5. in sub-rule (7) the words "unless stated otherwise" shall be omitted.

[F. No. 13035/21/2013-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R 827(E) dated 8th November, 2023.